राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2739/2025

रमेश चंद मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. तहसीलदार, कोटखावदा, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.05.2025
आदेश की दिनांक :
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी पटवारी के पद पर हल्का बडोदिया में कार्यरत है और उसे अतिरिक्त प्रभार प.ह. गरूडवासी तहसील कोटखावदा जिला जयपुर का दिया हुआ था। अपीलार्थी उक्त पदों पर कार्य कर रहा था। अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान पर कार्य व्यवहार उत्तम रहा है। चुनौती आदेश दिनांक 21–4–2025 द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत लगाये गये आरोपों की जांच की जानी है, उनका उल्लेख आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र में किया गया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी पर पहला आरोप यह लगाया गया है कि राजस्व ग्राम यादगारपुरा के खसरा नम्बर 207, 212/521, 64/527, 64/528, किता 4 रकबा 12.38 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 64/529 रकबा 1.00 हैक्टेयर के सम्बन्ध में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 07–01–2025 में उक्त खसरा नम्बरान का अब्दुल रहमान रेफरेन्स नहीं बना होने की रिपोर्ट की है जबकि उक्त खसरा नम्बरान में पूर्व में रेफरेन्स प्रकरण संख्या 04/2018 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है। प्रकरण में गलत रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार कोटखावदा से आदेश प्राप्त अब्दुल रहमान रेफरेन्स का नोट हटाने के लिए आप दोषारोपित है। इसी प्रकार आरोप संख्या 2 लगाया गया है कि ग्राम यादगारपुरा के खसरा नम्बर 207, 212/521, 64/527, 64/528, किता 04 रकबा 12.38 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 64/529 रकबा 01 हैक्टेयर में प्रार्थिया द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 89 अनुसार जमाबन्दी में शुद्धि करने के प्रार्थना पत्र दिनांक 07–01–2025 पर उसी

दिन जांच रिपोर्ट पेश करना, जांच रिपोर्ट पर तहसीलदार कोटखावदा से आदेश प्राप्त करना, जमाबन्दी से रेफरेन्स नोट हटाना तथा स्वीकृतशुद्धा नामान्तरण संख्या 89 दिनांक 16–11–2005 जिसका जमाबन्दी संवत 2061–64 से हाल ऑनलाईन जमाबन्दी तक इन्द्राज से शेष था का आप द्वारा धारा 166 में शुद्धि कर शुद्धिपत्र संख्या 04 (नामान्तरण) दिनांक 09–01–2025 नियम विरूद्ध दर्ज किया गया है, जिसके लिए आप दोषारोपित है। दिनांक 7 जनवरी, 2025 को प्रार्थिया मोतीदेवी पत्नी कालूराम मीणा, छोटीदेवी पत्नी रामफूल ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार कोटखावदा जयपुर को प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम यादगारपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर के खाता संख्या 19 में शुद्धि कराने बाबत लिखा गया और यह निवेदन किया गया कि जमाबन्दी में शुद्धि दर्ज कर नामान्तरण आदेश पारित करवाये। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार महोदय ने हल्का पटवारी से दिनांक 7–1–2025 को ही रिपोर्ट मांगी जिस पर पटवारी ने उक्त पत्र के पिछले भाग में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें मूल रूप से यह अंकित किया कि जिस खसरा शुद्धि का प्रार्थना पत्र दिया गया है उस पर अब्दुल रहमान के प्रकरण का नोट अंकित है लेकिन इसमें आदेश क्रमांक वगैरह कुछ अंकित नहीं है और न रेफरेन्स बना हुआ अंकित है इससे स्पष्ट है कि पटवारी ने स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में यह अंकित कर दिया था कि प्रकरण में अब्दुल रहमान का नोट अंकित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अब्दुल रहमान प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व के नदी नालों की जमीन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा न ही किसी के नाम खातेदारी की जाएगी। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में अंकित कर दिया था कि प्रकरण अब्दुल रहमान से संबंधित है फिर भी तहसीलदार महोदय ने दिनांक 7–1–2025 को ही अपीलार्थी को यह आदेश दिये कि शुद्धिकरण दर्ज करे। तहसीलदार महोदय के आदेश होने पर अपीलार्थी ने शुद्धि पत्र जारी किया और जमाबन्दी में से अब्दुल रहमान का नोट हटा दिया गया। (अनुलग्नक–3 व 4) अपीलार्थी की इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं थी और अपीलार्थी को जो आरोप पत्र दिनांक 21–4–2025 दिया गया है वह बिना किसी उचित कारण के दिया गया है। अपीलार्थी ने तो अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया था कि प्रकरण अब्दुल रहमान से संबंधित है फिर भी तहसीलदार महोदया ने अपीलार्थी को शुद्धि पत्र जारी करने के लिए आदेशित किया। अपीलार्थी तहसीलदार का अधीनस्थ कर्मचारी है इसलिए तहसीलदार के आदेश के अनुसार अपीलार्थी ने कार्यवाही कर जमाबन्दी में शुद्धिकरण किया जिसमें अपीलार्थी का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इस संबंध में दिनांक 25–2–2025 को विधायक चाकसू ने जिला कलक्टर महोदय को शिकायत दी जिसमें कहा गया है कि प्रकरण में अब्दुल रहमान का नोट हटाकर

दिनांक 13—1—2025 को विक्रय पत्र तस्दीक कर दिया गया जबकि उक्त भूमि बहाव क्षेत्र में आती है। उक्त प्रार्थना पत्र के पश्चात अपीलार्थी को 10—3—2025 को एक नोटिस दिया गया जिसका जवाब अपीलार्थी ने 12—3—2025 को प्रस्तुत कर दिया। जिसमें अंकित किया कि उक्त कार्य अपीलार्थी ने तहसीलदार महोदय के आदेश से किया था जबकि अपीलार्थी ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट शुद्धि पत्र जारी होने से पूर्व प्रस्तुत करदी थी जिसमें अंकित किया था कि प्रकरण अब्दुल रहमान से संबंधित है फिर भी तहसीलदार महोदय ने अपीलार्थी को आदेशित किया कि वह शुद्धि दर्ज करें। उनके आदेश पर अपीलार्थी ने शुद्धि दर्ज की। (अनुलग्नक—5,6 व 7) इस संबंध में दिनांक 6—3—2025 को कलक्टर महोदय ने एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें उप जिला कलक्टर बस्सी, जयपुर, तहसीलदार सांगानेर व भू अभिलेख निरीक्षक चाकसू को उक्त जांच करने के लिए अधिकृत किया गया। जांच करने के पश्चात दिनांक 01—04—2025 को उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें जांच रिपोर्ट के अंतिम पैरा में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है जो निम्न प्रकार है इस प्रकार प्रकरण में तहसीलदार कोटखावदा द्वारा वर्णित खसरा नम्बरान पर अब्दुल रहमान रेफरेन्स दर्ज होने की जानकारी होते हुए भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा में वर्णित प्रतिबंधित भूमियों के खसरा नंबरान के संबंध में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भूमि अब्दुल रहमान के स्थगन से प्रभावित है। इसके बाद भी तहसीलदार द्वारा स्थगन का नोट हटाने के आदेश प्रदान किए गए जबकि अब्दुल रहमान का प्रकरण का रेफरेन्स भी तत्समय तहसीलदार कोटखावदा द्वारा तैयार किया गया था। तहसीलदार एवं उपपंजीयक कोटखावदा दोनों पद तहसीलदार के पास ही है। अब्दुल रहमान प्रकरण की जानकारी होने पर भी विकय पत्र पंजीबद्ध किए गए जो नियम 16 का उल्लंघन है। इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की कोई गलती नहीं है तहसीलदार महोदय ने अपीलार्थी द्वारा दी गई रिपोर्ट में अब्दुल रहमान का अकन होने के पश्चात भी शुद्धि जारी करने के लिए कहा और इसके पश्चात बेचान कर दिया गया जिसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है। (अनुलग्नक—8) जहां तक आरोप संख्या दो के अनुसार जमाबन्दी शुद्धि करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 7—1—2025 पर उसी दिन जांच कर जांच रिपोर्ट पेश करना एवं उस पर तहसीलदार कोटखावदा से आदेश प्राप्त कर जमाबन्दी रेफरेंस नोट हटाना और उसका शुद्धि पत्र दर्ज करने का संबंध है। तहसीलदार महोदय ने अपीलार्थी को 7 जनवरी, 2025 को उक्त प्रार्थना पत्र दस्ती तौर पर दिया गया एवं तुरन्त रिपोर्ट मांगी गयी जिस पर अपीलार्थी ने राजसेवक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उसी दिन नियमानुसार अपनी रिपोर्ट तहसीलदार महोदया

को प्रस्तुत की अर्थात अपीलार्थी ने अपना राजकार्य तुरन्त प्रभाव से एवं अभिलेखानुसार किया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 21–4–2025 (अनुलग्कन–1) को अपास्त फरमया जावे एवं परिणामस्वरुप अपीलार्थी को पटवारी के पद पर पटवार हल्का बडोदिया तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न की जावे और न ही उसको वहाँ मिलने वाले वेतन–भत्ते व अन्य लाभों से ही वंचित किया जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की अपील की ग्राहयता पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में पटवारी के पद पर कार्यरत है। अपील में आदेश दिनांक 21.04.2025 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र में दिया गया है, जिसके संबंध में विभागीय जांच की जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी है।

प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी को सीसीए नियम 1958 के नियम 16 के तहत जारी आरोप पत्र/आरोप विवरण पत्र को अधिकरण के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। अधिकरण के राजस्थान सरकार एवं राजस्थान सरकार के सरकारी निगमों/निकायों आदि के कार्मिकों के सेवा संबंधी मामलों के सुनने का श्रवणाधिकार है। राजस्थान सिविल सेवाएं (सेवा मामले अपीलीय न्यायाधिकरण) नियम 1976 की धारा 2(F) में ''सेवा मामलो'' को परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार हैः–

2(F) ''Service matter" means any one or more than one of the following matters relating to a
Government Servant :-
(1) Seniority;
(ii) Promotion;

(iii) Confirmation;
(iv) Fixation of pay;
(v) An order denying or varying pay, allowances, pension and other service conditions to the disadvantage of a Government Servant, other-wise than as a penalty;
(vi) Cases of reversion while officiating in a higher service, grade or post to lower service, grade or post other-wise than as a penalty;

(vii) Withholding the pension or denying the maximum pension other&wise than as the penalty:
(viii) Transfer from one place/post to another place/post.
(ix) Any other matter notified by the Government."

सीसीए नियम में आरोप पत्र जारी करने का प्रयोजन मामले में लोक सेवक का जवाब प्राप्त करना एवं उसके परीक्षक उपरान्त यदि आवश्यक हो तो मामले में जांच अधिकारी नियुक्त कर आरोपी कर्मचारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, निर्धारित प्रक्रिया से जांच सम्पादित की जानी है। जांच में यदि लोक सेवक निर्दोष पाया जाता है तो उस दशा में कार्यवाही समाप्त करने एवं दोषी पाये जाने की अवस्था में यथानुरूप दण्डादेश पारित करने की व्यवस्था है।

आरोप पत्र की जांच उपरान्त ही यह तय होता है कि कोई लोक सेवक दोषी है या निर्दोष है एवं उसी पर दण्डादेश का निर्णय निर्भर करता है। आरोप पत्र की अंतिम परिणिती दोषमुक्ति या दण्डादेश होती है।

फिर आरोप पत्र सही है या निराधार है, इसके संबंध में विस्तृत जांच के उपरांत ही निर्णय किया जाना संभव है। इसके बिना आरोप पत्र की सत्यता एवं औचित्य के संबंध में कोई टिप्पणी किया जाना संभव नहीं है। अधिकरण द्वारा इस तरह की जांच की जाना अपेक्षित नहीं है।

अतः हमारा यह मत है कि सीसीए नियम 1958 के अन्तर्गत किसी लोक सेवक को आरोप पत्र जारी किया जाना राजस्थान सिविल सेवाएं (सेवा मामले अपीलीय न्यायाधिकरण) नियम 1976 की धारा 2(F) में ''सेवा मामला'' नहीं है।
अतः अपीलार्थी की अपील को ग्राहयता के स्तर पर ही खारिज किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)	**(विकास सीतारामजी भाले)**
सदस्य	**अध्यक्ष**